पत्रांकः-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-04/2018.......... 2589,(M)
19/3/18

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

आदेश

निबंधित

संवेदक श्री विवेक झा, पिता- स्व0 गणेश झा, ग्रा0+पो0-हरीपुर, थाना-बहेरा, जिला-दरभंगा(बिहार), पिन कोड-847233 निबंधन सं0-प्रथम(व्यक्तिगत)-54(भवन)/2017 द्वारा प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र भवन, बहेड़ी, दरभंगा के निर्माण कार्य के निविदा में भाग लिया गया।

दिनांक-15.11.2017 को तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में संवेदक श्री विवेक झा, पिता- स्व0 गणेश झा, ग्रा0+पो0-हरीपुर, थाना-बहेरा, दरभंगा(बिहार) द्वारा अपलोड किए गए कार्य अनुभव प्रमाणपत्र की जाँच करने का निर्णय लिया गया। जाँचोपरांत पाया गया कि उक्त संवेदक द्वारा अपलोड किए गए समान प्रकृति का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र एवं प्रमुख मदों के मात्रा का अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन निर्गत करने वाले संबंधित पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, BSEIDC, दरभंगा प्रमंडल द्वारा पत्रांक-BSEIDC/DAR/Ex/649/ 17 दिनांक-14.11.2017 के माध्यम से सूचित किया गया कि उक्त प्रमाण पत्र पत्रांक-154 दिनांक-26.02.2016 द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र उनके कार्यालय से निर्गत नहीं है। इस प्रकार निविदाकार श्री विवेक झा, हरिपुर, बहेरा, दरभंगा द्वारा निविदा मे एस0बी0डी0 की कंडिका 4.5A(b) एवं 4.5A(c) के तहत गलत कागजात अपलोड किए जाने के कारण इन्हें एस0बी0डी0 की कंडिका-4.8 के तहत नॉन-रिसपॉन्सिव पाया गया एवं तकनीकी बीड में असफल घोषित करने की अनुशंसा की गई।

दिनांक-08.12.2017 को आहूत विभागीय निविदा समिति की बैठक में संवेदक श्री विवेक झा, हरिपुर,बहेरा,दरभंगा द्वारा निविदा में फर्जी कागजात अपलोड किए जाने के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के प्रावधानों के तहत इनके विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। इस संबंध में मुख्य अभियंता(उत्तर) के पत्रांक-121(अनु0) दिनांक-16.01.2018 द्वारा भी उक्त कार्य के लिए संवेदक के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के तहत कार्रवाई करने संबंधी अनुशंसा पत्र प्राप्त हुआ।

दिनांक-05.02.2018 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव ,भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में संवेदको के कालीकरण/निलंबन के संबंध में बैठक हुई जिसमें संवेदक श्री विवेक झा, से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में संवेदक से विभागीय पत्रांक-1424(भ0) दिनांक-15.02.18 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। दिनांक-22.02.2018 को संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-05.03.18 को कालीकरण/निलंबन के संबंध में बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में समिति द्वारा संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण को अमान्य करते हुए संवेदक के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका-11(क)(vii) के आलोक में संवेदक श्री विवेक झा, पिता-स्व0 गणेश झा, ग्रा0+पो0-हरीपुर, थाना-बहेरा, जिला-दरभंगा (बिहार), पिन कोड-847233 निबंधन सं0-प्रथम(व्यक्तिगत)-54(भवन)/2017 को पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया।

अतः संवेदक श्री विवेक झा, पिता-स्व0 गणेश झा, ग्रा0+पो0-हरीपुर, थाना-बहेरा, जिला-दरभंगा(बिहार), पिन कोड-847233 निबंधन सं0-प्रथम(व्यक्तिगत)-54(भवन)/2017 को पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए निविदा में भाग लेने से निलंबित किया जाता है।

19/3/18

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-04/2018 2589 (अ) पटना, दिनांक- 19/3/18

प्रतिलिपिः-संवेदक श्री विवेक झा, पिता-स्व0 गणेश झा, ग्रा0+पो0-हरीपुर, थाना-बहेरा, जिला-दरभंगा(बिहार),पिन कोड-847233 को सूचनार्थ प्रेषित।

19/3/18

— अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांकः-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-04/2018 2589 (अ) पटना,दिनांक- 19/3/18

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण, विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/3/18

— अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-04/2018 2589 (अ) पटना, दिनांक- 19/3/18

प्रतिलिपिः-आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/3/18

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

19/3/18